Annexure - XLIII

सत्यमेव जयते

उत्तराचंल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोन : (0135) 2666778 / 2666779

पत्रांक : 2150 /उ.सू.आ./2006 दिनांक : 24/8/2006

प्रेषक,

सचिव,
उत्तरांचल सूचना आयोग

सेवा में,

प्रमुख सचिव
सामान्य प्रशासन, उत्तरांचल सचिवालय।

विषय– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, को शासन के विभिन्न विभागों के विभागीय मैनुअल तथा मैनुअल ऑफ गवर्नमेन्ट आडर्स में एक अध्याय के रूप में स्थान देना।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, शासन के सभी लोक प्राधिकारी इकाइयों के कार्यकलापों का एक प्रशासनिक कर्तव्य बन गया है। अपने दिन–प्रतिदिन के कार्यों के व्यवस्था पूर्वक सम्पादन के लिए मार्गदर्शन हेतु कई विभागों के पूर्व से ही मैनुअल बने हुए हैं। अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम उन विभागीय मैनुअलों का एक अभिन्न अंग बने, इस हेतु कृपया अपने स्तर से निम्न व्यवस्था करने का कष्ट करें :

1.1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ऐसे विभाग जिनके पूर्व से ही विभागीय मैनुअल बने हुए हैं, उसमें एक पृथक अध्याय के रूप में उपयुक्त स्थान पर इन मैनुअलों का भाग बनया जाय.

1.2 मैनुअल ऑफ गवर्नमेन्ट ऑडर्स में भी सूचना के अधिकार अधिनियम को एक पृथक अध्याय के रूप में सम्मिलित कर लिया जाय.

1.3 जिन विभागों के कोई विभागीय मैनुअल नहीं हैं. उन विभागों में सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अंतर्गत जो 17 बिन्दुओं पर मैनुअल बनाने की कार्यवाही चल रही है, उनमें बिन्दु नम्बर 5 के मैनुअल में सूचना के अधिकार अधिनियम का एक पृथक अध्याय बनाकर सम्मिलित कर लिया जाय।

2. उत्तरांचल सूचना आयोग के स्तर से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में इस प्रकार जोड़े जाने वाले अध्याय का एक प्रारूप (मॉडल) संलग्न कर भेजा जा रहा है।

3. कृपया, सभी लोक प्राधिकारियों को अपने स्तर से इसे भेजते हुए उनसे अपेक्षा की जाये कि तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

कृपया कृत कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव